स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बिन्दु (दिनांक–20.07.2020)

1. सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य सरकार सर्वेक्षण क्षेत्र को अधिसूचित करेगी।

2. सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जायेगी।

3. सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जिलाधिकारी एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वेक्षण क्षेत्र को प्रकाशित करेंगे। ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण का यह कार्य अभिलेख अधिकारी/जिलाधिकारी तथा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी के सतत पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अभिलेख अधिकारी/जिलाधिकारी तथा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी तैयार किये गये अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करायेंगे।

4. ग्राम आबादी में व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल, सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की सीमाओं का चिन्हांकन हेतु **सर्वे टीमें गठित की जायेंगी।** इन टीमों में राजस्व विभाग व ग्राम पंचायत के कर्मचारी सदस्य होंगे। सर्वेक्षण के समय शान्ति व्यवस्था के लिये आवश्यक्तानुसार पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

5. पंचायती राज विभाग ग्राम के निवासियों को सर्वेक्षण की अनुसूची के बारे में सूचित करने और सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ग्राम सभा में बैठकें आयोजित करेगा। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभा सम्पत्ति पुंजिकाओं को भी अद्ययावधिक किया जायेगा।

6. प्रथम सर्वेक्षण के समय ***सर्वे टीम*** द्वारा निम्न कार्यवाहियॉ एक साथ की जायेंगी–

6.1. व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल, राड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की सीमाओं का चिन्हांकन चूना लाइन द्वारा की जायेगी। विवादित संपत्तियों को दोहरी चूना लाइन द्वारा दर्शाया जायेगा।

6.2. चूना लाइनिंग के समय ही ***प्रारूप–05*** पर भी सूचनायें एकत्रित की जायेंगी तथा इन सूचनाओं को परिषद के पोर्टल पर साथ–साथ फीड कराया जायेगा।

7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानव रहित हवाई वाहन/ड्रोन का उपयोग कर एरियल छवियां ली जायेंगी। ड्रोन के माध्यम से ली गई छवियों की जांच भारत की भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में की जाएगी तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ***आबादी मानचित्र–01*** तैयार कर सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ***आबादी मानचित्र–01*** पर **सर्वे टीम** द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से स्थलीय सत्यापन करते हुये निम्न कार्यवाहियॉ की जायेंगी–

8.1. स्थलीय सत्यापन में यदि आबादी मानचित्र–01 की त्रुटि पाई जाती है तो उसका अंकन प्रारूप–04 में तथा यदि प्रारूप–05 की त्रुटि है तो उसका अंकन प्रारूप–06(1) में किया जायेगा।

8.2. ***आबादी मानचित्र–01*** पर आबादी गाटा की सीमारेखा (लाल डोरा) दर्शायी जायेगी।

8.3. ***आबादी मानचित्र–01*** में दर्शायी गयी घरों, भूखण्डों, ***समस्त सरकारी सम्पत्तियों व*** ग्राम पंचायत सम्पत्तियों की सीमाओं का सत्यापन किया जायेगा। यदि सत्यापन में सीमाओं में कोई भिन्नता पायी जाती है तो उसका अंकन प्रारूप–04 में किया जायेगा।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

8.4. ***आबादी मानचित्र–01*** पर आबादी भूखण्डों का संख्यांकन किया जायेगा व इसका मिलान ***प्रारूप–05*** से किया जायेगा। संख्याकन की विसंगति की स्थिति में ***आबादी मानचित्र–01*** पर किये गये भूखण्ड संख्यांकन को सही मानते हुये इस त्रुटि का अंकन ***प्रारूप 6(1)*** में किया जायेगा।

8.5. ***आबादी मानचित्र–01*** पर स्थलीय सत्यापन के समय पाये गये 30 प्रकार की संरचनाओं(परिशिष्ट–03) को चिन्हांकित किया जायेगा एवं इनका अंकन प्रारूप–04, प्रारूप–05 व प्रारूप–06(1) में भी किया जायेगा।

8.6. ***प्रारूप–04*** पर बिन्दु संख्या–8.2, 8.3, 8.4 व 8.5 के सत्यापन में प्रकाश में आई नवीन सूचनाओं, ***आबादी मानचित्र–01*** की त्रुटियों एवं प्रस्तावित संशोधनों की सूची तैयार कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सभी त्रुटियों, नवीन सूचनाओं व संशोधनों को समाहित करते हुये भूखण्डवार क्षेत्रफल के साथ ***आबादी मानचित्र–02*** उपलब्ध करायेगा।

8.7. ***प्रारूप–05*** का सम्पूर्ण स्थलीय सत्यापन किया जायेगा एवं ***प्रारूप–05*** के सत्यापन के पश्चात तद्नुसार ***प्रारूप–05*** के सत्यापन के समय पाई गई नवीन सूचनाओं, त्रुटियों की सूची क्रमशः ***प्रारूप 6(1)*** पर व विवादों की सूची ***6(2)*** पर तैयार की जायेगी। ***प्रारूप–05*** का सम्पूर्ण स्थलीय सत्यापन पूर्ण सावधानी के साथ किया जायेगा। यदि सत्यापन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

9. इस प्रकार तैयार ***प्रारूप 6(1) व 6(2)*** एवं ***समस्त सरकारी सम्पत्तियों***, **ग्राम पंचायत सम्पत्तियों** व **30 प्रकार की संरचनाओं** का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। तद्पश्चात सत्यापन के दौरान ***प्रारूप 6(1)*** में पाई गई नवीन सूचनाओं, लिपिकीय त्रुटियों, ***प्रारूप–6(2)*** की सूचना एवं अन्य समस्त त्रुटियों के क्रम में संशोधित अंकन प्रारूप–07 में किया जायेगा। इसी प्रकार ***आबादी मानचित्र–02*** में उपलब्ध कराये गये भूखण्डों के क्षेत्रफल की भी प्रविष्टी प्रारूप–7 में की जायेगी। ***प्रारूप -7*** (परिषद के पोर्टल पर) तैयार किया जायेगा।

10. राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन एवं संशोधन के पश्चात तैयार ***प्रारूप -7 व आबादी मानचित्र–02*** को तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सत्यापित आंकड़ों विशेषतया सरकारी व ग्राम पंचायत सम्पत्तियों में कोई त्रुटि न रहे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ***प्रारूप 6(1) व 6(2)*** व **30 प्रकार की संरचनाओं** में पाई गई त्रुटियों व संशोधनों एवं ***आबादी मानचित्र–02*** से प्राप्त क्षेत्रफल के डेटा का अंकन ***प्रारूप–07 में*** हो गया है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ***प्रारूप–04*** में सत्यापन के दौरान पायी गयी अंकित त्रुटियों, नवीन सूचनाओं व संशोधनों को ***आबादी मानचित्र–02*** में समाहित कर लिया गया है।

11. सत्यापित ***प्रारूप–7*** व ***आबादी मानचित्र–2*** को तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी को आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त